सं. जे-11015/1/2011-एनएसएपी
भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय

कृषि भवन, नई दिल्ली
दिनांकः 30 जून, 2011

कार्यालय ज्ञापन

विषयः इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना (आईजीएनडब्ल्यूपीएस) के अंतर्गत केन्द्रीय सहायता के लिए दिशा-निर्देश।

अधोहस्ताक्षरी को दिनांक 30 सितम्बर, 2009 के का.ज्ञा. सं. जे-11012/1/2009-एनएसएपी के माध्यम से जारी इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना (आईजीएनडब्ल्यूपीएस) के दिशा-निर्देशों का अवलोकन करने का निदेश हुआ है। केन्द्रीय सहायता के लिए दावा करने के प्रयोजनार्थ दिशा-निर्देशों में उल्लिखित पात्रता मानदंड यह था कि विधवा की उम्र 40-64 वर्ष के आयु वर्ग में हो और भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानदंड के अनुसार गरीबी रेखा के नीचे जीवन बसर करने वाले परिवार से संबंधित हो।

2. मौजूदा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (आईजीएनओएपीएस) के अंतर्गत आयु सीमा को 65 वर्ष से कम कर 60 वर्ष करने संबंधी भारत सरकार के निर्णय के फलस्वरूप यह तय किया गया है कि आईजीएनडब्ल्यूपीएस के अंतर्गत विधवा पेंशन के लिए पात्रता मानदंड में परिवर्तन किया जाएगा जो इस प्रकार हैः

I. पात्रता मानदंड

केन्द्रीय सहायता का दावा करने के लिए निम्नलिखित मानदंड लागू होंगेः

(i) विधवा की उम्र 40-59 वर्ष की बीच होगी।

(ii) आवेदक को भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानदंड के अनुसार गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर करने वाले परिवार से संबंधित होना चाहिए।

3. 'पेंशन की राशि', 'कवरेज प्रमाण-पत्र', 'निधियों का आवंटन', 'पेंशन की समाप्ति', आदि के संबंध में अन्य प्रावधान वहीं रहेंगे जैसा कि दिनांक 30 सितम्बर, 2009 के का.ज्ञा. में उल्लिखित हैं।

सं. कु. राकेश
30.06.11

(संजय कुमार राकेश)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार

सचिव
एनएसएपी प्रभारी
सभी राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र